

**कार्यालय,
प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा**

दूरभाष : 05962.230065, फ़ोनस : 05962.232182 ई-मेल : almoraforestdivision@rediffmail.com
पत्रांक 172 / 1402 अल्मोड़ा दिनांक 6-7-2024
सेवा में,

अधिशाली अभियन्ता,
निर्माण खण्ड लो0नि0वी0,
रानीखेत।

विषय - जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र भिकियासैण के अन्तर्गत सौगढ़ पन्तगांव चमड़खान सगीना नौगांव लछमोला मोटर मार्ग नवनिर्माण कार्य (प्रस्ताव सं0 36098/2018)
सन्दर्भ- भारत सरकार का पत्र संख्या 08बी/यू0सी0पी0/06/163/2020/एफ0सी0/777 दिनांक 23.09.2021।

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसमें एन0पी0वी0 की धनराशि नयी दरों पर जमा की जानी है। भारत सरकार से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रशस्त प्रकरण में एन0पी0वी0 की नई दरों के अनुसार देय धनराशि का आंकलन निम्न प्रकार है-

1. ईको-क्लास श्रेणी	=	Vth
2. हरियाली का घनत्व (प्रतिशत)	=	0.4
3. एन0पी0वी0 की दर (प्रति है0)	=	1292850.00
4. आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल (है0)	=	0.225
5. कुल देय एन0पी0वी0 (शर्त सं0 5क) की धनराशि (रुपये)	=	290891.00
6. क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दर	=	493670.00
7. क्षतिपूरक वृक्षारोपण (शर्त सं0 3क) की धनराशि (0.45 है0)	=	222152.00
8. कुल जमा की जाने वाली धनराशि (रु0 में)	=	513043.00

कुल जमा की जाने वाली धनराशि (रुपये में) 513043.00 (पांच लाख तेरह हजार तैतालीस रुपये) मात्र की धनराशि कैम्पा कोष में जमा की जानी है।

अतः उक्त धनराशि जमा करने हेतु डिमांड नोट प्रेषित है। आंकलित धनराशि उच्च स्तर से सत्यापित होने के पश्चात् ही कैम्पा कोष में जमा करने के उपरान्त प्रकरण में प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लेखित शर्तों की संशोधित अनुपालन आख्या बिन्दुवार/कॉलमवार मय संलग्नक शीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित करें, ताकि प्रकरण का निस्तारण किया जा सके।

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा।

पत्रांक 172 / 1402 उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।